

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:-चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-8/2018 प्रार्थना पत्र

जेती उर्फ जेतु पत्नि मगना जाट, उम्र बालिग निवासी धूमड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थीया

बनाम

- 1-श्री बट्टी पिता बालू जाट, उम्र बालिग निवासी धूमड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 2-श्री कालू पिता बालू जाट, उम्र बालिग निवासी धूमड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 3-श्री दुर्गालाल पिता बक्षू जाट, उम्र बालिग निवासी धूमड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 4-श्री सुवालाल पिता बक्षू जाट, उम्र बालिग निवासी धूमड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 5-श्री नंदराम पिता भूरा जाट, उम्र बालिग निवासी धूमड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 6-श्री देबी पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी धूमड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 7-श्री भैरू पिता कजोड़ जाट, उम्र बालिग निवासी धूमड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 8-श्री रामसुख पिता कजोड़ जाट, उम्र बालिग निवासी धूमड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 9-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-12.3.2018

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम धूमड़ास पटवार हल्का रूपाहेली, भू-अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 195 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 501 रकबा 2 बिस्वा, 502 रकबा 6 बिस्वा, 503 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 260 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 261 रकबा 2 बिस्वा, 288 रकबा 1 बीघा, 289 रकबा 14 बिस्वा, 290 रकबा 19 बिस्वा, 291 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 292 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल कित्ता 11 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहती हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.1.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 9 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 16.2.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम धूमड़ास पटवार हल्का रूपाहेली, भू-अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 195 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 501 रकबा 2 बिस्वा, 502 रकबा 6 बिस्वा, 503 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 260 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 261 रकबा 2 बिस्वा, 288 रकबा 1 बीघा, 289 रकबा 14 बिस्वा, 290 रकबा 19 बिस्वा, 291 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 292 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा की सीमा की पुख्ता जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 1300/-रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा